



राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
एनआरएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ ()/एनएचएम/मामा.स्वा.बीमा योजना/2015-16/459

दिनांक: 5-11-15

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:-मामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में।

सन्दर्भ:-विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक एफ.()/एन.एच.एम./स्वास्थ्य बीमा योजना/
2015-16/4366 दिनांक 23.10.15 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री महोदयों द्वारा स्वास्थ्य योग्य योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के लगभग एक करोड़ चयनित परिवारों को सरकारी तथा सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में अन्तरंग (IPD) स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जायेगा। इस हेतु विभाग द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। जिसमें बिन्दु संख्या 6 स्वास्थ्य मार्गदर्शक के बिन्दु (d) व (e) में निम्न अंकित था:-

(d) स्वास्थ्य मार्गदर्शक चिकित्सा संस्थान पर ओ.पी.डी. भार के हिसाब से लगाए जाएंगे। प्रति 50 औसत ओ.पी.डी. तक एक स्वास्थ्य मार्गदर्शक कार्यरत होगा एवं

(e) 50 से अधिक की आई.पी.डी. पर प्रति 50 ओ.पी.डी. पर एक स्वास्थ्य मार्गदर्शक अतिरिक्त कार्यरत होगा।

इस क्रम में लेख है कि इन दिशा-निर्देशों में ओ.पी.डी. (O.P.D.) के स्थान पर आई.पी.डी. (I.P.D.) पढ़ा जाये

(डॉ. नीरज के. पवन)
अतिरिक्त मिशन निदेशक
एन.एच.एम.

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान।
7. निजी सचिव, एम.डी., आर.आई.एस.एल., राजस्थान।
8. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान।
10. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान।
11. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं तकनीकी विभाग, राजस्थान।
12. समस्त, प्राचार्य/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
13. समस्त, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
14. समस्त, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक, एन.एच.एम., राजस्थान।
15. श्री अनिल कुमार, जनरल मैनेजर, न्यू इण्डिया ऐश्योरंस कम्पनी लिमिटेड, 87, महात्मा गांधी मार्ग, कोर्ट मुम्बई-400001
16. प्रभारी सर्वर रूम को लेख है कि ई-मेल करवाने का श्रम करावे।
17. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मिशन निदेशक
एन.एच.एम.